

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 10, 2011/फाल्गुन 19, 1932

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 297

No. 44]

DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 2011/PHALGUNA 19, 1932

[N.C.T.D. No. 297

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय आबकारी आयुक्त

अधिसूचना

दिल्ली, 10 मार्च, 2011

सं. फा. 10(56)/96-97/आई.एम.एफ.एल./आब./9014-29.—दिल्ली शराब नियमावली, 2010 के नियम-52 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के वार्ड सं. 78 मजनु का टीला (एस.सी.) क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव-2011 के कारण दिल्ली नगर निगम के वार्ड सं. 78 मजनु का टीला (एस.सी.) क्षेत्र में निम्नलिखित तारीखों में शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया जाता है जोकि इस नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित सभी एल-1, एल-1एफ, एल-2, एल-3, एल-4, एल-5, एल-6, एल-6 एफजी, एल-6 एफई, एल-7, एल-7 एफजी, एल-7 एफई, एल-8, एल-9, एल-10, एल-11, एल-12, एल-12 एफ, एल-14, एल-16, एल-17, एल-18, एल-19, एल-20, एल-21, एल-22, एल-23, एल-23 एफ, एल-25, एल-26, एल-28, एल-29, एल-31, एल-32, एल-33, एल-34, एल-35, पी-10 और पी-13 लाईसेंस धारकों और अफीम की दुकानों पर लागू होगा।

1. दिनांक 5-3-2011 (शुक्रवार) सायं 5.00 बजे से दिनांक 13-3-2011 रविवार यथा मतदान और मतगणना दिवस।

इस प्रशासन की दिनांक 21-1-2011 की अधिसूचना संख्या एफ-10(56)96-97/आई.एम.एफ.एल./आब./8149-8163 के अनुसार घोषित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त उपरोक्त दिन शुष्क दिवस होंगे।

आर. एम. पिल्लै, आबकारी आयुक्त

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE

NOTIFICATION

Delhi, the 10th March, 2011

No. F. 10(56)/96-97/IMFL/Ex/9014-29.—In pursuance of the provision of Rule 52 Delhi Excise Rules, 2010, it is hereby ordered that the following dates/days shall be observed as "Dry Days" on account of Bye-elections to Ward No. 78, Majnu Ka Tila (SC) of Municipal Corporation of Delhi-2011 by all L-1, L-1F, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-6FG, L-6FE, L-7, L-7FG, L-7FE, L-8, L-9, L-10, L-11, L-12, L-12F, L-14, L-16, L-17, L-18, L-19, L-20, L-21, L-22, L-23, L-23F, L-25, L-26, L-28,

L-29, L-31, L-32, L-33, L-34, L-35, P-10 and P-13 licensees and opium vends located in the areas of Ward No. 78, Majnu Ka Tila (SC) of Municipal Corporation of Delhi.

1. From 5.00 PM on 11-3-2011 (Friday) till 13-3-2011 (Sunday i.e. Polling day and Counting Day).

The above shall be observed as "Dry Days" in addition to the Dry Days notified vide Notification No. F10(56)96-97/IMFL/Excise/8149-8163 dated 21-1-2011.

R.M. PILLAI, Commissioner of Excise

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 मार्च, 2011

फा. सं. 3(9)/वित्त(क. एवं स्था.)/2009-10/पार्ट फा.-1/डीएस-II/89.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2001 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात् :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम/जन्म तिथि (श्री/श्रीमती/कु.)	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	मदन लाल/22-12-62	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
2.	नीरज धवन/28-1-67	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
3.	हरेन्दर सिंह/9-9-67	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
4.	नीरज गुप्ता/3-8-68	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
5.	राकेश मल्होत्रा/28-4-65	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
6.	अजय कुमार सिनंदी/13-9-68	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
7.	गुरप्रीत सिंह/4-10-68	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
8.	आर.के. ठुकराल/17-3-53	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
9.	सोनिका सिंह मरबानियांग/22-8-71	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
10.	होम करण/27-3-67	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
11.	अब्दुल मतीन/9-7-73	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
12.	राम मेहर/1-6-61	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
13.	आनंद प्रकाश शर्मा/1-12-60	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
14.	इंद्रा रानी सागर/10-3-61	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
15.	वंकट राव गरिका/2-4-63	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
16.	राज कुमार/15-7-62	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
17.	ध्यानेश्वर एम. भडगारे/1-3-64	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
18.	जे.आर.मीना/1-7-66	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
19.	चन्दर शेखर विठल अदयालकर/11-7-66	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
20.	अतुल राम चारी/30-11-68	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
21.	पंकज पीयूष अगरवाल/3-12-71	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
22.	सतीश कनोजिया/1-5-71	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
23.	डेजी एल. रन्थले/2-10-66	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
24.	चन्दरकला हरिहर सुशिर/3-5-60	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
25.	थेंग चालथांग/30-4-61	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
26.	सुषमा टिकी/5-1-62	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

(1)	(2)	(3)
27.	उषा इक्का/17-1-62	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
28.	रामकेश मीना/1-9-68	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
29.	सत्य प्रकाश/30-3-70	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
30.	सतन्द्रा कुमार/5-1-70	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
31.	जी.डी. निम्जे/13-9-67	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
32.	रमा चौहान/21-10-68	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
अरविन्द जैन, उप-सचिव-II

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 10th March, 2011

No. F. 3(9)/Fin. (T & E)/2009-10/Ptf. 1/DS II/89.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :

S. No.	Name of the Officer/D.O.B. (Sh./Smt./Km.)	Appointed As
(1)	(2)	(3)
1.	Madan Lal/22-12-62	Asstt. Value Added Tax Officer
2.	Neeraj Dhawan/28-1-67	Asstt. Value Added Tax Officer
3.	Harender Singh/9-9-67	Asstt. Value Added Tax Officer
4.	Neeraj Gupta/3-8-68	Asstt. Value Added Tax Officer
5.	Rakesh Malhotra/28-4-65	Asstt. Value Added Tax Officer
6.	Ajay Kumar Sinandi/13-9-68	Asstt. Value Added Tax Officer
7.	Gurpreet Singh/4-10-68	Asstt. Value Added Tax Officer
8.	R.K.Thukral/17-3-53	Asstt. Value Added Tax Officer
9.	Sonica Singh Marbaniang/22-8-71	Asstt. Value Added Tax Officer
10.	Hom Karan/27-3-67	Asstt. Value Added Tax Officer
11.	Abdul Matin/9-7-73	Asstt. Value Added Tax Officer
12.	Ram Mehar/1-6-61	Asstt. Value Added Tax Officer
13.	Anand Prakash Sharma/1-12-60	Asstt. Value Added Tax Officer
14.	Indra Rani Sagar/10-3-61	Asstt. Value Added Tax Officer
15.	Venkat Rao Garika/2-4-63	Asstt. Value Added Tax Officer
16.	Raj Kumar/15-7-62	Asstt. Value Added Tax Officer
17.	Dhyaneswar M. Bhadgare/1-3-64	Asstt. Value Added Tax Officer
18.	J.R. Meena/1-7-66	Asstt. Value Added Tax Officer
19.	Chander Shekhar Vithal Adyalkar/11-7-66	Asstt. Value Added Tax Officer
20.	Atul Ram Charry/30-11-68	Asstt. Value Added Tax Officer
21.	Pankaj Pyush Agarwal/3-12-71	Asstt. Value Added Tax Officer
22.	Satish Kanojia/1-5-71	Asstt. Value Added Tax Officer
23.	Daisy L. Ranthlei/2-10-66	Asstt. Value Added Tax Officer
24.	Chanderkala Harihar Sushir/3-5-60	Asstt. Value Added Tax Officer
25.	Theing Chalthang/30-4-61	Asstt. Value Added Tax Officer

(1)	(2)	(3)
26.	Sushma Tirkey/5-1-62	Asstt. Value Added Tax Officer
27.	Usha Ekka/17-1-62	Asstt. Value Added Tax Officer
28.	Ramkesh Meena/1-9-68	Asstt. Value Added Tax Officer
29.	Satya Prakash/30-3-70	Asstt. Value Added Tax Officer
30.	Satandra Kumar/5-1-70	Asstt. Value Added Tax Officer
31.	G.D. Nimje/13-9-67	Asstt. Value Added Tax Officer
32.	Rama Chauhan/21-10-68	Asstt. Value Added Tax Officer

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

ARVIND JAIN, Dy. Secy.-II

राजस्व विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 10 मार्च, 2011

फा. सं 7(13)/रा.स्थ./सर./जी.ए./97/पाई फाइल/274.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 476, दिनांक 23-11-2010 के सन्दर्भ में श्री रामफल सिंह, ग्रेड-I (DASS) ने दिनांक 7-1-2011 (पूर्वाह्न) को तहसीलदार (सरस्वती विहार), जिला उत्तर-पश्चिम का कार्यभार संभाल लिया है। अतः :—

- (i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की उप-धारा 27/1/बी (1887 की अधिनियम सं. 17), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री रामफल सिंह, ग्रेड-I (DASS) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।
- (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री रामफल सिंह, ग्रेड-I (DASS) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।
- (iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पूर्वी पंजाब होल्डिंग अधिनियम, 1948 (1948 की अधिनियम सं. 50) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री रामफल सिंह, ग्रेड-I (DASS) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त करते हैं।
- (iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 की अधिनियम सं. 12) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री रामफल सिंह, ग्रेड-I (DASS) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
कुलदीप सिंह गंगर, अति. सचिव

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 10th March, 2011

F. No. 7(13)/Rev.Estt./S.R./GA/97/P. File/274.—In pursuance of Services Department's Order No. 476, dated 23-11-2010, Shri Ram Phal Singh, Gr. I (DASS) has joined as Tehsildar (Saraswati Vihar), District North-West on 7-1-2011 (F/N). Now, therefore :—

- (i) In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Shri Ram Phal Singh, Gr. I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, so long as he

holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

- (ii) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Shri Ram Phal Singh, Gr. I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- (iii) In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (Act No. 50 of 1948), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Shri Ram Phal Singh, Gr. I (DASS) as Consolidation Officer in the said Territory for the purpose of the aforesaid Act, till such time as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- (iv) In exercise of the powers conferred by Section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Shri Ram Phal Singh, Gr. I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
KULDEEP SINGH GANGAR, Addl. Secy.

925 DG/11-2